रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 1970/अग्रहायण 20, 1892

No. 206] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1970/AGRAHAYANA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 11th December 1970

G.S.R. 2009.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 164/68-Central Excises, dated the 31st August, 1968, the Central Government hereby fixes for refrigerators, water coolers and air-conditioners [falling under sub-item (1) and (2) of Item No. 29A of the First Schedule to the said Act] specified in column (2) of the Table below, the tariff value specified in the corresponding entries in column (3) thereof provided that for every increase or decrease in the capacity of the item specified in column (2) to the extent specified in the corresponding entries in column (4) of the said Table the tariff value specified in column (3) shall be increased or decreased, as the case may be, at the rate specified in column (5) of the said Table:

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to

(i) a water cooler of a capacity exceeding 200 litres per hour, and

(ii) a window type air-conditioner of a capacity not exceeding 1,500 K Cal per hour or half ton.

TABLE

Serial No.	Description of appliance	Tariff value per unit	Extent of variation in capacity	Rate of variation in tariff value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Domestic refrigerator of a capacity			
	(i) not exceeding 60 litres . .	465/-	Nil	Nil
	(ii) exceeding 60 litres but not exceeding 90 litres	625/-	Nil	Nil
	(iii) exceeding 90 litres but not exceeding 120 litres	735/-	Nil	Nil
	(iv) exceeding 120 litres but not exceeding 140 litres	980/-	Nil	Nil
	(v) exceeding 140 litres but not exceeding 165 litres	1300/-	Nil	Nil
	(vi) exceeding 165 litres but not exceeding 200 litres	1350/-	Nil	Nil
	(vii) exceeding 200 litres but not exceeding 250 litres	1410/-	Nil	Nil
	(viii) exceeding 250 litres but not exceeding 300 litres	1625/-	Nil	Nil
2.	Instantaneous type water cooler of a capacity of 35 litres per hour. . .	1450	One litre or a part thereof	8·00
3	Storage type water cooler of a capacity of 35 litres per hour.	1500/-	One litre or a part thereof	15·00
4	Window type air-conditioner of a capacity exceeding 1,500 K Cal per hour but not exceeding 3,000 K Cal per hour or exceeding half ton but not exceeding one ton. . . .	2300/-	Every additional 300 K Cal per hour or 1/10 of a ton or a part thereof.	90·00
5	Packaged type (water cooled) air-conditioner of a capacity of 15,000 K Cal per hour or 5 ton. .	9850/-	300 K Cal per hour or 1/10 of a ton or a part thereof.	120·00

Explanation: I—For the purposes of this notification, "capacity"—

(i) in relation to a domestic refrigeration, means the total volume contained within the interior walls of the refrigerator with the door closed, and without fitments. If there is a separate low-temperature compartment, with an independent door, its group volume shall be included in the total gross volume,

(ii) in relation to an instantaneous type water cooler, means the rate of flow of water in litres per hour (for instance, 35 litres per hour) when the water cooler works at an ambient temperature of 35 degree Centigrade and the water is cooled from 30 degrees Centigrade to 12.5 degrees Centigrade,

(iii) in relation to a storage type water cooler, means the quantity of water that can be continuously drawn per hour from the water cooler when it is worked at an ambient temperature of 35 degrees Centigrade and when water is full in the tank, make up water being supplied at 30 degrees Centigr. e and the water being drawn from the water cooler at 12.5 degrees Centigrade. For the purpose of test, full tank water shall be first pre-cooled to 12.5 degrees Centigrade before water is drawn for test;

(iv) in relation to an air-conditioner of a capacity of one ton means an air-conditioner which can remove or add as much quantity of heat as is required for melting of one ton of water ice per 24 hours when operating in an ambient temperature of 35 degrees Centigrade dry bulb and 30 degrees Centigrade wet bulb with a room temperature of 27 degrees Centigrade dry bulb and 21 degrees Centigrade wet bulb. Heat required to melt one ton of ice in these ambient conditions is 12,000 British Thermal Units (BTU) which is equivalent to 72575 kilo Calories (K Cal) per 24 hours or 3,024 K cal per hour. Metric unit shall be taken as 3,000 K Cal per hour equivalent to one ton and the upward or downward variation shall be 1/10 of a ton or 300 K Cal per hour.

Explanation: II.—For the purposes of this notification, a water cooler with a tank or a reservoir of a capacity less than 25 per cent of its hourly cooling capacity shall be deemed to fall within the category of instantaneous type water cooler.

[No. 176/70.]

K. L. REKHI, Under Secy.

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1970

सा०का०नि० 2009.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 164/68 सी०प० तारीख 31 अगस्त, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट (उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29 की उपमद (1) और (2) के अन्तर्गत आने वाले) प्रशीतकों जल शीतकों और वातानुकूलकों के लिए इसके स्तंभ (3) में तत्स्थानों प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है परन्तु उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक स्तंभ (2) में निर्दिष्ट मद को पारित में प्रत्येक वृद्धि या कमी के लिए यथा स्थिति स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य उक्त सारिणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दर पर वृद्धि या कमी की जाएगी :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में की कोई बात—

(i) 200 लिटर्स प्रति घन्टा से अधिक की धारिता के किसी जल शीतक को, और

(ii) 1,500 कि०केल० प्रति घन्टा या आधा टन से अनधिक की धारिता के विन्डो-प्रकार के वातानुकूलक को लागू नहीं होगी।

सारणी

क्रम सं०	साधित्र का वर्णन	प्रति ईकाई टैरिफ मूल्य	पारिता के विभिन्नता की सीमा	टैरिफ मूल्य में विभिन्नता की दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निम्न धारिता के घरेलू प्रशीतक			
	(i) 60 लीटर्स से अनधिक .	465/–	शून्य	शून्य
	(ii) 60 लीटर्स से अधिक किन्तु 90 लीटर्स से अनधिक . . .	625/–	शून्य	शून्य
	(iii) 90 लीटर्स से अधिक किन्तु 120 लीटर्स से अनधिक . . .	735/–	शून्य	शून्य
	(iv) 120 लीटर्स से अधिक किन्तु 140 लीटर्स से अनधिक . . .	980/–	शून्य	शून्य
	(v) 140 लीटस से अधिक किन्तु 165 लीटर्स से अनधिक . . .	1,300/–	शून्य	शून्य
	(vi) 165 लीटर्स से अधिक किन्तु 200 लीटर्स से अनधिक . . .	1,350/–	शून्य	शून्य
	(vii) 200 लीटर्स से अधिक किन्तु 250 लीटर्स से अनधिक . . .	1410/–	शून्य	शून्य
	(viii) 250 लीटर्स से अधिक किन्तु 300 लीटर्स से अनधिक . .	1,625/–	शून्य	शून्य
2	35 लीटर्स प्रति घन्टा की धारिता के लाक्षणिक प्रकार के जल शीतक . .	1,450/–	एक लीटर या उसका कोई भाग	8.00

35 लीटर प्रति घंटा की धारिता के स्टोरेज-प्रकार के जल शीतक	[illegible]	[illegible]	15.00
1500 कि० कैल० प्रति घंटा से अधिक के किन्तु 3,000 कि० कैल० प्रति घंटा से अनधिक की आधा टन से अधिक किन्तु एक टन से अनधिक की धारिता के विन्डो-प्रकार वाले वातानुकूलक	[illegible]	[illegible]	40.00
15000 कि० कैल० प्रति घंटा या 5 टन की धारिता का [illegible] किसी भी प्रकार का (केन्द्रीकृत) वातानुकूलक	[illegible]	[illegible]	[illegible]

स्पष्टीकरण 1.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट है कि—

(i) किसी भी प्रशीतक [illegible] प्रशीतक की परस्पर जोड़ी के [illegible] में सम्मिलित है। यदि उसमें कोई पृथक निकास नहीं है, जिसमें पृथक स्थापन दरवाजा है तो कुल मात्रा मात्रा में उसकी समग्र मात्रा शामिल की जाएगी।

(ii) वाष्पशील प्रकार के जल शीतक के संबंध में उस समय प्रति घंटा लीटरों में (उदाहरणार्थ 35 लीटर प्रति घंटा) मापने का आधार यह माना जाएगा जब जल शीतक 35 डि० सेंटि० के परिवेश ताप पर काम करता है और जल 30 डि० सेंटि० से 12.5 डिग्री सेंटिग्रेड तक शीतल हो जाता है।

(iii) स्टोरेज प्रकार के जल शीतक के संबंध में जल की वह परिमाण अभिप्रेत है, जो जल-शीतक में उस समय प्रति घंटा निरन्तर किया जा सकता है जब वह 35 डिग्री सेंटिग्रेड के परिवेश ताप पर काम करता है और जब टंकी जल से पूरी भरी हुई होती है तो तैयार किया जाने वाला जल 30 डिग्री सेंटिग्रेड पर प्रवाह किया जाये और जल शीतक में 12.5 डिग्री सेंटिग्रेड पर निकाला जाये। इस परीक्षण के प्रयोजन के लिए, भरी टंकी का जल सबसे पहले परीक्षण के लिए जल निकालने से पूर्व 12.5 डिग्री सेंटिग्रेड तक पूर्व शीतित किया जाएगा।

(iv) एक टन की धारिता के वातानुकूल के सम्बन्ध में वह वातानुकूल अभिप्रेत है जो उष्मा की उतनी मात्रा निकाल या जोड़ सके जितनी प्रति 24 घंटे एक टन जल हिम को पिघलाने के लिये अपेक्षित है जब 27 डिग्री सेंटिग्रेड शुष्क बल्ब और 21 डिग्री सेंटिग्रेड आर्द्र भीगर बल्ब के कक्ष ताप के साथ 35 डिग्री सेंटिग्रेड शुष्क बल्ब और 30 डिग्री सेंटिग्रेड आर्द्र बल्ब के किसी परिवात ताप पर प्रचलित हो। इन परिवाती दशाओं में एक टन हिम को पिघलाने के लिए अपेक्षित उष्मा 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट (बी० टी० यू०) है जो 72,575 किलो केल० (कि० के०) प्रति 24 घंटा या 3,024 कि० केल० प्रति घंटा के समतुल्य है। मीट्रिक यूनिट एक टन के समतुल्य 3,000 कि० केल० प्रति घंटा ग्रहण की जायेगी और उर्ध्वता तथा अधोवर्ती विभिन्नता एक टन की 1/10 या 300 कि० केल० प्रति घंटा होगी।

स्पष्टीकरण II:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उसको बैटवार शीतलन धारिता के 25 प्रतिशत से अन्यून किसी धारिता को टंकी या हौज वाले किसी भी जल शीतक को ताप्पिक प्रकार के जल शीतक के प्रवर्ग के अन्तर्गत समझा जायेगा।

[सं० 176/70]

कृ० ल० रेड्डी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970